

“निः शुल्क”

प्रसार भारती  
भारतीय प्रसारण निगम  
दूरदर्शन केन्द्र : लखनऊ  
खोये हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में

1. खोये हुए व्यक्ति का पूरा नाम :-
2. खोये हुए व्यक्ति का चित्र आवश्यक माप के अनुसार ( 20x25 सेमी.) लगायें :-
3. इस व्यक्ति के बारे में किस जिले में कितने समय पूर्व अन्ततः कोई बात सुनी थी :-
4. क्या आपने सभी साधनों जैसे पुलिस या डाक घर द्वारा व्यक्ति की तलाश कर ली है :-
5. खोये व्यक्ति का संक्षिप्त विवरण :-  
(अ) आयु ( स्त्री या पुरुष ) :-  
(ब) लम्बाई (सेमी.) :-  
(स) बोल-चाल :-
6. आकृति एवं रूप रंग :-
7. मातृ भाषा तथा अन्य भाषाओं में बोलता/बोलती है :-
8. पहचान के लिए कोई विलक्षण या चिन्ह :-
9. क्या कोई पारितोषिक प्रस्तावित है यदि हो तो उसकी धनराशि का उल्लेख कीजिये :-
10. क्या आप उसका संबन्ध अता-पता दे सकते है :-
11. खोये हुए व्यक्ति का तथा उस व्यक्ति से संबन्ध जो कि आप संदेश प्रसारित करवाना चाहते है :-
12. उन परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण यदि पता हो :-  
(जिसके सम्बन्ध में व्यक्ति गायब हुआ हो)

आप का नाम व पता :-

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित (मजिस्ट्रेट)

1. नोट :- ऊपर लिखी ब्यौरे की सच्चाई के लिए हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।
2. दूरदर्शन पूरी कोशिश करेगा कि ऊपर लिखे ब्यौरे की सूचना तथा संभव व्यापक रूप से दी जाये परन्तु यह साफ तौर से समझ लिया जाए कि उद्घोषणा आवृत्ति तथा लम्बाई संबंध प्राधिकारियों के अपने विवेक पूर्णतः निर्भर करेगी।
3. कृपया पुलिस रिपोर्ट का एक अनुप्रमाणित प्रति रूप साथ लगायें।
4. फोटोग्राफ व फार्म का मजिस्ट्रेट से प्रमाणित होना आवश्यक है।
5. यदि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो कृपया चिकित्सक प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

---

कृपया प्रसारण की अनुमति प्रदान करें

प्रसारण की अनुमति प्रदान की गई

ए. एस. डी./डी. टी. सी.

प्रसारण निष्पादक (हस्ता0)